



ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2020; 6(2): 155-157
www.allresearchjournal.com
Received: 10-12-2019
Accepted: 13-01-2020

प्रेम परिहार

सहायक आचार्य, ईएफएम,
राजकीय बांगड स्नातकोत्तर
महाविद्यालय डीडवाना, नागौर,
राजस्थान, भारत

भारत में सरकारी अनुदान

प्रेम परिहार

सारांश

भारत में अनुदान भी एक घुन की तरह ही है जो हमारी अर्थव्यवस्था की जड़ों को खोखला कर रही है। वस्तुओं एवं सेवाओं को उपलब्ध कराने की लागत तो अधिक होती है किन्तु उपभोक्ता हित हेतु कम कीमत पर उपलब्ध करायी जाती है। योजनाबद्ध विकास के अर्न्तगत गरीब तबके के लोगों को राहत देने के सब्सिडी का प्रावधान किया गया है परन्तु गैर योजनागत खर्च में वृद्धि होने के कारण राजकोषीय घाटे में भारी वृद्धि होती है। देश में 1980-81 वर्ष में अनुदान का बोझ केवल 1912 करोड़ रुपये ही था जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर 2.99 लाख करोड़ रुपये हो गया है। वर्ष 2019-20 में खाद्य अनुदान 1,84,220 करोड़ रुपये, पेट्रोलियम में 37,487 करोड़ रुपये, ब्याज पर 25,056 करोड़ रुपये एवं अन्य अनुदान में 12,199 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव था। जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा खर्च होता है। कुल अनुदान का 50 प्रतिशत हिस्सा केवल खाद्य अनुदान में ही खर्च हो जाता है। आर्थिक उदारीकरण के लक्ष्यों में अनुदान में कमी लाना एक मुख्य लक्ष्य था यद्यपि इसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई।

मुख्य शब्द— अनुदान, अनुदान मदें, अनुदान राशि, जीडीपी में प्रतिशत

प्रस्तावना

भारत में अनुदान भी एक घुन की तरह ही है जो हमारी अर्थव्यवस्था की जड़ों को खोखला कर रही है। इसके माध्यम से एक तरफ तो सरकारी संसाधनों को अनुत्पादक बनाया जा रहा है दूसरी तरफ जनता के उत्पादक संसाधनों को कर के माध्यम से वसूल किया जा रहा है। भारत में गैर सर्वहितकारी वस्तुओं का लाभ सीधे उपभोक्ता को प्राप्त होता है। इन वस्तुओं एवं सेवाओं को उपलब्ध कराने की लागत तो अधिक होती है किन्तु उपभोक्ता हित हेतु कम कीमत पर उपलब्ध करायी जाती है। वित्तीय समावेशन को पूरा करने के लिए भी अनुदान दिया जाना आवश्यक है। अध्ययन के उद्देश्य—

1. भारत में अनुदान किसको मिलता है एवं क्यों, इसके कारणों को जानना।
2. अनुदान मिलने वाली मदों को जानना।
3. अनुदान राशि को जानना और इसके लाभों, परिणामों एवं दोषों को जानना।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध पत्र विवरणात्मक शोध विधि से लिखा गया है। शोध पत्र लिखने में द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया गया है। तथ्यों का संकलन विभिन्न पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, पुस्तकों एवं इन्टरनेट के माध्यम से किया गया है।

शोध समीक्षा

प्रो. सेन अमर्त्य एवं अन्य 1995 ने अपनी पुस्तक इण्डियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एण्ड सोशल अपारचुनिटी में बताया है कि संगठित एवं सुचारु रूप से संचालित बाजार भी मानवीय अयोग्यताओं एवं अक्षमताओं से पैदा होने वाली समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ है। प्रत्येक की भौतिक लाभ की स्थिति एवं परिस्थितियों में अन्तर पाया जाता है। अतः सरकार द्वारा विशेष प्रयास कर सुविधाओं एवं सेवाओं को प्रदान करने पर ध्यान देना चाहिए।

डॉ. जैन एवं अन्य 2007 ने पुस्तक विस्तृत अर्थशास्त्र के अध्याय भारतीय अर्थव्यवस्था और सब्सिडी का बोझ में लिखा है कि योजनाबद्ध विकास के अर्न्तगत गरीब तबके के लोगों को राहत देने के अनुदान का प्रावधान किया गया है परन्तु गैर योजनागत खर्च में वृद्धि होने के कारण राजकोषीय

Correspondence Author:

प्रेम परिहार

सहायक आचार्य, ईएफएम,
राजकीय बांगड स्नातकोत्तर
महाविद्यालय डीडवाना, नागौर,
राजस्थान, भारत

घाटे में भारी वृद्धि होती है। आर्थिक उदारीकरण के लक्ष्यों में अनुदान में कमी लाना एक मुख्य लक्ष्य था यद्यपि इसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई।

अनुदान का अर्थ

अनुदान एक प्रकार से आर्थिक मदद है जो सरकार किसानों, उद्योगों, आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीब उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराती है जिससे कि वे वांछित सेवा या उत्पाद कम कीमत पर खरीद सकते हैं। इसे राज सहायता या सहायिकी के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे सब्सिडी (SUBSIDY) भी कहते हैं। एक तरह इसे नकारात्मक कर भी कहते जो सरकार गरीब जनता को देती है। अनुदान दो प्रकार से दिया जाता है। प्रथमतः प्रत्यक्ष अनुदान में लोगों को नकद भुगतान कर दिया जाता है जैसे एलपीजी का भुगतान। द्वितीय अप्रत्यक्ष में टैक्स कटौती, कम ब्याज पर ऋण देना आदि के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जाती है।

अनुदान के उद्देश्य

1. सामाजिक और आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना
2. लागत एवं मूल्य के बीच अन्तर को कम करना जिससे कमजोर एवं गरीब उपभोक्ता पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करना।
3. सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना।
4. कमजोर उद्योगों की आर्थिक मदद करना।

अनुदान योजना में उपभोक्ता को कई प्रकार के लाभ हस्तांतरित किए जाते हैं—

1. नकद अनुदान— खाद्यान्न एवं उर्वरक पर सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनुदान
2. ब्याज एवं ऋण संबंधी अनुदान— इस प्रकार के अनुदान में लघु एवं मध्यम स्तरीय उद्योगों को रियायती ब्याज पर ऋण, किसान कार्ड के ब्याज का अनुदान आदि शामिल है।
3. कर अनुदान— चिकित्सा व्यय में कर अनुदान
4. वस्तु एवं सेवा संबंधी अनुदान— इसे उत्पाद अनुदान भी कहते हैं। यह किसी विशेष उत्पाद पर ही दिया जाता है ताकि उसके उपभोग को बढ़ावा दिया जा सके। मुफ्त चिकित्सा सेवा, दिव्यांगों को उपकरणों पर अनुदान, घरेलू गैस अनुदान आदि
5. रोजगार अनुदान— यह देश में बेरोजगारी को कम करने के लक्ष्य से दिया जाता है। इसमें अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उद्योगों को विकसित किया जाता है।
6. वसूली अनुदान— खाद्यान्नों के विक्रय में अनुदान अर्थात् कम कीमत पर अनुदान उपलब्ध करवाना
7. विनियामक अनुदान— इस प्रकार के अनुदान का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का विकास एवं उन्हें विकसित करना है। इसमें इस्पात, लौह उद्योग आदि शामिल है। इन्हें कम कीमत पर बिजली एवं अन्य खनिज उपलब्ध कराये जाते हैं।
8. परिवहन अनुदान— इस तरह का अनुदान सरकारी परिवहन पर दिया जाता है। इयका लक्ष्य प्रदूषण को कम करना होता है।
9. वस्त्र उद्योग अनुदान— मुख्यतः जूट उद्योग के विकास हेतु दिया जाता है।
10. लघु/मध्यम उद्योगों के विकास हेतु अनुदान
11. धार्मिक यात्राओं हेतु अनुदान— कैलाश मान सरोवर यात्रा, हज यात्रा, अमरनाथ यात्रा और ननकाना साहिब गुरुद्वारा यात्रा हेतु आर्थिक अनुदान प्रदान किया जाता है।

उपरोक्त के अलावा अनेक प्रकार के अनुदान दिए जाते हैं जिनमें चीनी भण्डारण, नारियल खरीद अनुदान, खाद्य तेलों के आयात पर हानि के लिए राज्य सरकारों को अनुदान, असम गैस परियोजना को आर्थिक अनुदान, जम्मू-कश्मीर के लिए कर्ज राहत हेतु अनुदान, दिल्ली दंगा पीड़ितों को कर्ज राहत हेतु अनुदान आदि। देश में 1980-81 वर्ष में अनुदान का बोझ केवल 1912 करोड़ रुपये ही था जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर 2.99 लाख करोड़ रुपये हो गया है। सार्वजनिक वित्त एवं नीति पर राष्ट्रीय संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष 42,000 करोड़ रुपये का अनुदान प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से दिया जाता रहा है। अनुदान वृद्धि से राजस्व खर्च में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। परोक्ष अनुदान का 40 प्रतिशत सामाजिक सेवाओं पर तथा 60 प्रतिशत ऊर्जा, पेयजल, संचार, परिवहन पर व्यय होता है। उदारीकरण के बाद से ही अनुदान में कमी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

भारत में अनुदान की राशि— (राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	कुल अनुदान	जीडीपी का प्रतिशत
1990-91	12,158	2.1
1994-95	12,682	1.5
2000-01	28,271	1.4
2009-10	1,32,054	2.4
2011-12	2,17,941	2.6
2012-13	2,57,079	2.7
2013-14	2,42,632	—
2014-15	2,66,692	—
2015-16	2,43,811	1.7
2016-17	2,50,432(बजट अनुमान)	—
2017-18	2,24,455(बजट अनुमान)	—
2018-19	2,99,211(संशोधित अनुमान)	—
2019-20	3,38,949(बजट अनुमान)	1.4

स्रोत— केन्द्र सरकार की विभिन्न रिपोर्ट, तालिका में 1990 से 2016 तक वास्तविक व्यय के आंकड़े दिए हैं।

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि अनुदान राशि में लगातार वृद्धि हो रही है। जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा खर्च होता है जो राजकोषिय घाटे में वृद्धि करता है। कुल अनुदान का 50 प्रतिशत हिस्सा केवल खाद्य अनुदान में ही खर्च हो जाता है। पेट्रोलियम एवं उर्वरक पर बहुत अधिक अनुदान दिया जाता है। आर्थिक उदारीकरण के बाद से अनुदान व्यय कुछ कम अवश्य हुआ है। वर्ष 2019-20 में खाद्य अनुदान 1,84,220 करोड़ रुपये, पेट्रोलियम में 37,487 करोड़ रुपये, ब्याज पर 25,056 करोड़ रुपये एवं अन्य अनुदान में 12,199 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव था।

अनुदान के दोष

1. खाद्यान्न एवं अन्य अनिवार्य वस्तुओं की सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ समृद्ध एवं गैर लाभार्थियों द्वारा हथिया लिया जाता है।
2. वर्तमान अनुदान प्रणाली विकासमान एवं प्रगतिशील नहीं है क्योंकि उर्वरक में अनुदान का लाभ उत्पादकों को मिलता है किसानों को नहीं।
3. पेट्रोलियम एवं उर्वरक पर दिए जाने वाले अनुदान पर पुनः समीक्षा की आवश्यकता है। ताकि राजस्व हानि से बचा जा सके।
4. खाद्यान्न में संग्रहण एवं देखभाल का खर्च इतना बढ़ जाता है कि उपभोक्ता को अनुदान का वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। अनुदान होते हुए भी सड़ा एवं गला हुआ अनाज मिल पाता है एवं अनाज में कीड़े भी लगे रहते हैं।

5. उच्च शिक्षा में अनुदान प्रवेश के आधार पर मिलता है तो गरीब वर्ग पिछड़ जाता है क्योंकि उच्च वर्ग के पास संसाधन अधिक होने के कारण उन्हें अपनी योग्यता सिद्ध करने के अवसर भी अधिक मिलते हैं।
6. बिजली एवं पानी पर अनुदान होने के कारण इनका समुचित प्रयोग नहीं हो पाता। निःशुल्क बिजली का लाभ भी बड़े किसान ही उठा पाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि बरसात के मौसम में भी किसान फव्वारों से सिंचाई करते रहते हैं क्योंकि निःशुल्क बिजली मिल रही है। सो इनमें बचत की भावना का अभाव पाया जाता है।
7. अनुदान प्रणाली को पारदर्शी बनाया जाए ताकि लक्षित जनसंख्या को ही इसका लाभ मिल सके।
8. इससे उत्पाद की कमी होने लगती है क्योंकि अनुदान मिलने से विशेष उत्पाद की बाजार में मांग बढ़ जाती है।
9. आयकर दाताओं पर करों का बोझ बढ़ जाता है।

सुझाव

1. भ्रष्टाचार एवं रिसाव को रोकना अनिवार्य है अतः इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है।
2. बीपीएल लोगों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ स्मार्ट कार्ड के माध्यम से दिया जाना चाहिए।
3. सामाजिक बैंकिंग एवं सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए अनुदान नकद हस्तांतरण को ज्यादा अपनाया जाए।
4. उच्च तकनीकी कुशलता प्राप्त वितरकों की नियुक्ति की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।
5. अनुदान की वास्तविक आवश्यकता को पहचानने की जरूरत है। इसे भविष्य में धीरे धीरे कम करने की दिशा में काम करना चाहिए।

निष्कर्ष

प्रख्यात अर्थशास्त्री किशोर जेट नंदानी ने कहा था कि "अनुदान स्टेरॉयड द्वारा इलाज जैसे है। आलसी चिकित्सक अनभिज्ञ बीमारों को स्टेरॉयड को देकर उनका तुरंत इलाज करने का प्रयास करता है। स्टेरॉयड तुरंत आराम तो देता है लेकिन बीमारी का इलाज नहीं करते।" अतः अनुदान की प्रणाली पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। अनुदान के कारण विदेशों पर हमारी निर्भरता बढ़ जाती है। आज भी खाद्यान्न पर 60,000 करोड़ का अनुदान देने पर भी इसकी लाभदायकता समाज को नहीं मिल पायी है। अनुदान राजनैतिक सत्ता की रोटियां सेकने का कारगर माध्यम बन गया है 70,000 करोड़ की कर्ज माफी इसका जीता जागता उदाहरण है। परन्तु यह तो सत्य है कि आज भी अनुदान हेतु नवीन योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जिसमें उजाला योजना, आवास निर्माण हेतु अनुदान योजना, सामाजिक राष्ट्रीय योजना, उज्ज्वला योजना आदि प्रमुख हैं। एक बार किसी अनुदान योजना को प्रारम्भ कर दिया जाए तो उसे बंद करने में अनेक राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वर्ष 2000-2001 में आयकर देने वाले व्यक्तियों को राशन की चीनी रोक देना एक अच्छी पहल थी। वर्ष 2020-21 के बजट में अनुदान सकल घरेलू आय का 1.3 प्रतिशत तक लाने का अनुमान लगाया जा रहा है। अतः अनुदान हेतु बहुत ही सोच विचार एवं दूरदर्शिता पूर्ण रवैये की आवश्यकता है। सरकार को उपभोक्ता को अनुदान देने की बजाए उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाने की जरूरत है अन्यथा गरीब और गरीब होकर हाशिये पर चला जाएगा। यदि समय रहते ग्रामीण पूँजीगत और सामाजिक आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाता तो बिना अनुदान के भी एक सशक्त उत्पादक अर्थव्यवस्था का निर्माण हो सकता था।

संदर्भ

1. आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18, खण्ड 2
2. प्रो. सेन एण्ड ज्यां द्रीज, इण्डियन इकोनॉमिक डेवलेपमेंट एण्ड सोशल अपॉरच्युनिटी, कलेजरडॉन प्रेस ऑक्सफोर्ड प्रकाशन, 1995
3. जैन एण्ड जैन, विस्तृत अर्थशास्त्र, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 2007
4. रूंगटा सुरेश, भारत का नव निर्माण, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, 2015
5. मनोज एम., दैनिक जागरण, 9 अक्टूबर 2012
6. देसाई ए. आर. अनुवादक चौबे कमल नयन, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठ भूमि, पॉपुलर प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, 2018
7. अग्रवाल डी. के., कहाँ और कितनी मिलती है सरकार से सब्सिडी, विन्ट हिंदी वेबसाइट, 18 जनवरी 2020